



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2984]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 19, 2016/अग्रहायण 28, 1938

No. 2984]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 19, 2016/AGRAHAYANA 28, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4090(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 10 जुलाई, 2012 में का.आ. 1539(अ) तारीख 10 जुलाई, 2012 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना का, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 21 मई, 2014 में का.आ. 1352(अ) तारीख 22 मई, 2014 द्वारा प्रकाशित कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना को भी, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और शिलांग के प्रादेशिक निदेशकों को, उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं के अधीन इस शर्त के अधीन रहते हुए शक्तियां और कृत्य निहित करती है कि केन्द्रीय सरकार उसकी राय में, लोकहित में यदि ऐसा करना आवश्यक समझती है तो उक्त धाराओं के अधीन इन शक्तियों के प्रत्यायोजन को वापस ले सकेगी या शक्तियों का स्वयं प्रयोग कर सकेगी, अर्थात् :-

- (क) धारा 8 की उपधारा (4) का खंड (i) (अन्य प्रकार की कंपनी में संपरिवर्तन के मामले में ज्ञापन के परिवर्तन के लिए);
- (ख) धारा 8 की उपधारा (6);
- (ग) धारा 13 की उपधारा (4) और उपधारा (5);
- (घ) धारा 16;
- (ङ) धारा 87;
- (च) धारा 111 की उपधारा (3);
- (छ) धारा 140 की उपधारा (1);
- (ज) धारा 230 की उपधारा (5);
- (झ) धारा 233 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5), और उपधारा (6);

- (ज) 272 की उपधारा (3) का पहला और दूसरा परन्तुक;
(ट) धारा 348 की उपधारा (1);
(ठ) धारा 361, धारा 362, धारा 364 और धारा 365;
(ड) धारा 399 की उपधारा (1) के परन्तुक का खंड (i); और
(ढ) धारा 442।
2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 2/31/सीएए/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2016

S.O. 4090(E).—In exercise of the powers conferred by Section 458 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Corporate Affairs, dated the 10th July, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1539(E), dated the 10th July, 2012, and also in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Corporate Affairs, dated the 21st May, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1352(E), dated the 22nd May, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby delegates to the Regional Directors at Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Ahmedabad, Hyderabad and Shillong, the powers and functions vested in it under the following sections of the said Act, subject to the condition that the Central Government may revoke such delegation of powers or may itself exercise the powers under the said sections, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest, namely :—

- (a) clause (i) of sub-section (4) of section 8 (for alteration of memorandum in case of conversion into another kind of company);
(b) sub-section (6) of section 8;
(c) sub-sections (4) and (5) of section 13;
(d) section 16;
(e) section 87;
(f) sub-section (3) of section 111;
(g) sub-section (1) of section 140;
(h) sub-section (5) of section 230;
(i) sub-sections (2), (3), (4), (5) and (6) of section 233;
(j) first and second proviso of sub-section (3) of section 272;
(k) sub-section (1) of section 348;
(l) sections 361, 362, 364 and 365
(m) clause (i) of the proviso to sub-section (1) of section 399 and
(n) section 442.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/31/CAA/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.